


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-1)

क्रमांक एफ 7(1) ग्रावि/ग्रुप-1/2020/पार्ट-1/2226-2241 जयपुर, दिनांक-13-04-2023

-:आदेश:-


श्री अनिल सनाढ्य, अधिशाषी अभियंता की प्रतिनियुक्ति पर ली गई सेवाएं समाप्त कर उनके पैतृक विभाग (जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर) को लौटाई जाकर श्री सनाढ्य को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति अविलंब अपने पैतृक विभाग में प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(बाबूलाल वर्मा)
शासन उप सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग।
9. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग।
10. जिला कलेक्टर नागौर/राजसमंद।
11. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर/राजसमंद।
12. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. प्रभारी अधिकारी, संबंधित कोर्ट वे.स।
14. संबंधित को पालनार्थ।
15. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव (प्रशासन)